



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032023-244834
CG-DL-E-31032023-244834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]
No. 197]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

संख्या 23/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 244(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 84 के साथ पठित धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010, में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम करती हैं, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक उद्घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2010 में, विनियम 2 में, उप-विनियम (2) में, -

- (i) खंड (ख) में, परंतुक हटा दिया जाएगा और विराम चिह्न ":" के लिए विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) खंड (ग) में, उप-खंड (ii) में, शब्दों "पांच लाख" के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों "दस लाख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 451/12/2022-सीमाशुल्क V]

हरीश कुमार, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 36/2010-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2010 को सा.का.नि. 385(अ), दिनांक 5 मई, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 81/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 23 सितंबर 2022 के द्वारा संशोधन किया गया था जिसे सा.का.नि. 722(अ), दिनांक 23 सितंबर 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. 23/2023-Customs (N.T.)

G.S.R. 244(E).— In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 84 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to further amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the 1st April, 2023.

2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, in regulation 2, in sub-regulation (2), -

- (i) in clause (b), the proviso shall be deleted and for the punctuation ":", the punctuation ";" shall be substituted;
- (ii) in clause (c), in sub-clause (ii), for the words "five lakh", at both the places where they occur, the words "ten lakh" shall be substituted.

[F. No. 451/12/2022-Cus.V]

HARISH KUMAR, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 36/2010-Customs (N.T.), dated the 5th May, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 385(E), dated the 5th May, 2010 and was last amended *vide* notification No. 81/2022-Customs (N.T.), dated the 23rd September 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 722(E), dated the 23rd September 2022.